न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ (R.A.S.)

प्रकरण संख्या – 22/2019 प्रार्थना पत्र

GCMS No. - 2019/00034

श्री जयराज पिता ताराचन्द जाति धाकड़ उम्र 70 साल निवासी मण्डावली तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
– प्रार्थी

//बनाम//

1. श्रीमती कुंकुबाई पत्नी देवीलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी मण्डावली तहसील निम्बाहेड़ा राज0।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेड़ा राज0।

– विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू0 राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1– श्री रामेश्वरलाल धाकड़ – अधिवक्ता प्रार्थी
2– पैरोकार सरकार तहसीलदार – विपक्षी नं0 2

:: निर्णय ::

दिनांक :– 20.07.2023

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी ग्राम मण्डावली पटवार हल्का ढोरिया तहसील निम्बाहेड़ा में स्थित है, जो वर्तमान भू प्रबन्धन अनुसार खाता संख्या 84 की आराजी नं0 933 रकबा 0.4600 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 935 रकबा 0.0500 हैक्टेयर स्थित है। इसी प्रकार विपक्षी संख्या 1 की खातेदारी की आराजी वर्तमान भू प्रबन्धन अनुसार खाता संख्या 32 की आराजी नम्बर 932 रकबा 0.2800 हैक्टेयर स्थित है। साक्ष्य में नकल जमाबन्दी संवत् 2070–73 पेश है। उक्त दोनों ही आराजियात मूल साबिक आराजी नम्बर 551/557 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा के दो भाग हुए, जिके अनुसार आराजी नम्बर 1006/951/557 रकबा 2 बीघा प्रार्थी जयराज के नाम पर जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से दर्ज हुआ एवं आराजी नम्बर 951/557 मी0 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा रतनलाल पिता नानालाल धाकड़ के नाम पर दर्ज रही। उक्त दोनों आराजियात के नवीन सेटलमेन्ट के बाद आराजी नम्बर 933 रकबा 0.4600 हैक्टेयर व आराजी नम्बर 935 रकबा 0.0500 हैक्टेयर जयराज के नाम पर एवं आराजी नम्बर 932 रकबा 0.2800 हैक्टेयर वर्तमान में कंकुबाई पत्नी देवीलाल [illegible] के नाम दर्ज रेकार्ड है। पुष्टि में नकल जमाबन्दीयां, मिलान [illegible] पेश है।
2. उपरोक्त वर्णित मूल साबिक आराजी नम्बर 951/557 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा में से 2 बीघा पश्चिम से पूर्व की [illegible] प्रार्थी ने जरिये रजिस्टर्ड [illegible] पत्र दिनांक 27.07.99 को रतनलाल पिता नानालाल धाकड़ से क्रय की जिसके अनुसार उक्त आराजी राजस्व नक्शा ट्रेस में पश्चिम दिशा की तरफ दर्ज होकर उसके बटा नम्बर 1006/951/557 प्रार्थी के नाम दर्ज हुए एवं पूर्व दिशा में मूल साबिक आराजी नम्बर 951/557 मी0 मूल खातेदार रतनलाल के नाम पर दर्ज हुई। पुष्टि में पुराना नक्शा ट्रेस की नकल, नामान्तरकरण संख्या 699 की प्रमाणित नकल पेश है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 17:09:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

3. अभी हाल ही में राजस्व विभाग द्वारा आराजियात का नया सेटलमेंन्ट कर नवीन रकबा व नवीन नम्बर कायम कर राजस्व अभिलेखों में प्रार्थी के नाम से अंकित किये, परन्तु जहॉ पर पूर्व में जो गत भू प्रबन्धन अनुसार आराजियात का अंकन राजस्व नक्शे में अंकित था, वही पर नवीन नम्बर दर्ज करना चाहिये थे, लेकिन राजस्व कर्मचारियों की त्रुटि लिपिकीय भूलवश जहाँ पूर्व साबिक नम्बर राजस्व नक्शे में अंकित थे, उसी अनुरूप नवीन नम्बर अंकित नहीं कर अलग–अलग स्थान पर नम्बर अंकित कर दिये, यानि प्रार्थी की नवीन आराजी नम्बर 933 व 935 को नक्शे में पूर्व दिशा में अलग–अलग स्थान पर तरमीम कर दी एवं विपक्षी की आराजी नम्बर 932 को पश्चिम दिशा में तरमीम कर दी, यानि जहाँ प्रार्थी की आराजी दर्ज होनी चाहिये वहाँ विपक्षी की आराजी दर्ज कर दी एवं विपक्षी की आराजी के स्थान पर प्रार्थी की आराजी नक्शे में तरमीम कर दी, तथा आराजी नम्बर 935 रकबा 0.0500 हैक्टेयर को अगल टुकड़ा कायम कर बीच में आराजी नम्बर 934 के बाद में दर्ज कर दी, जबकि आराजी नम्बर 933 व 935 एक ही मूल साबिक आराजी नम्बर 957/951/1006 रकबा 2 बीघा के दो भाग हैं, तथा मौके पर कब्जा गत सेटलमेंन्ट के राजस्व नक्शा ट्रेस अनुसार प्रार्थी का कब्जा पश्चिम दिशा की तरफ एवं विपक्षी का कब्जा पूर्व दिशा की तरफ निरन्तर चला आ रहा हैं, परन्तु उक्त त्रुटिपूर्ण तरमीम की जानकारी प्रार्थी को अभी हाल ही में पटवार हल्का से राजस्व नक्शे की नकल दिनांक 16.05.2018 को मिली तब इस संबंध में स्पष्ट जानकारी हुई, इसलिए गत सेटलमेंन्ट के राजस्व नक्शे में तरमीम अनुसार एवं प्रार्थी के कब्जे अनुसार तथा नामान्तरकरण संख्या 699 पर चस्पा नक्शा ट्रेस अनुसार वर्तमान आराजियात को नवीन राजस्व नक्शा ट्रेस में तरमीम दुरूस्त किया जावें।

4. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज नवीन आराजी नम्बर 933 रकबा 0.4600 हैक्टेयर व आराजी नम्बर 935 रकबा 0.050 हैक्टेयर को साबिक नक्शे अनुसार पश्चिम दिशा में तरमीम किया जावें एवं विपक्षी की आराजी नम्बर 932 रकबा 0.2800 हैक्टेयर को पूर्व दिशा की तरफ तरमीम किया जावे।

5. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1 बावजूद तामिल अनुपस्थित होने से इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। विपक्षी संख्या 2 तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने अपने पत्र क्रमांक/राजस्व/प्र0गा0स0अ0/2021/06 दिनांक 18.10.2021 के माध्यम से प्रकरण में अपनी जांच रिपोर्ट एवं संशोधन प्रस्ताव मय अनुशंषा के साथ प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली किये गये। तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने अपनी जांच रिपोर्ट में अवगत कराया कि प्रार्थी श्री जयराज के नाम आराजी नम्बर 933 रकबा 0.46 हैक्टेयर व आराजी नम्बर 935 रकबा 0.05 हैक्टेयर भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज है एवं विपक्षी श्रीमती कंकु पत्नी देवीलाल धाकड़ के नाम आराजी नम्बर 932 रकबा 0.28 हैक्टेयर भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज है [illegible] 951/557 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा भूमि के दो भाग आराजी नम्बर 10[illegible]557 रकबा 2 बीघा भूमि प्रार्थी श्री जयराज के नाम पर एवं [illegible] रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा भूमि रतनलाल पिता नानालाल धाकड़ के ना[illegible] हुआ। साबिक आराजी का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में दर्ज [illegible] आराजी का भाग पूर्व में दर्शाया गया था वर्तमान राजस्व नक्शें में गलत दर्शाया गया है। साबिक आराजी नम्बर 951/557 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा भूमि श्री रतनलाल पिता नानालाल धाकड़ सा0 देह के नाम दर्ज थी। नामान्तरकरण संख्या 699 स्वीकृत दिनांक 10.08.1999 से प्रार्थी श्री जयराज पिता ताराचन्द धाकड़ के नाम आराजी नम्बर 1006/951/557 रकबा 2 बीघा भूमि एवं श्री रतनलाल पिता नानालाल धाकड़ के नाम आराजी नम्बर 951/557

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 17:09:50 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

मी0 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा दर्ज हुआ। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में श्री जयराज पिता ताराचन्द धाकड़ को विक्रय आराजी का पश्चिम भाग से विक्रय की गई थी। साबिक आराजी नम्बर 1006/951/557 रकबा 2 बीघा का नवीन आराजी नम्बर 933 रकबा 0.46 हैक्टेयर व आराजी नम्बर 935 रकबा 0.05 हैक्टेयर किता–2 कुल रकबा 0.51 हैक्टेयर दर्ज हुए एंव आराजी नम्बर 951/557 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा के नवीन आराजी नम्बर 932 रकबा 0.28 हैक्टेयर दर्ज हुये। आराजी नम्बर 932 रकबा 0.28 हैक्टेयर साबिक राजस्व नक्शे अनुसार दर्ज नहीं किया जाकर वर्तमान राजस्व नक्शें में पश्चिम दिशा में दर्ज किया गया है जो कि गलत है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने पुराने राजस्व नक्शे अनुसार नये राजस्व रेकार्ड एवं राजस्व नक्शे में संशोधन की अनुशंषा की है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो निम्नानुसार है–

क्र.सं.	वर्तमान प्रविष्टि			संशाधित प्रस्तावित प्रविष्टि		
	आराजी नम्बर	रकबा (है. में)	नाम खातेदार	आराजी नम्बर	रकबा (है0)	नाम खातेदार
1.	932	0.28	श्री कंकु पत्नि देवीलाल धाकड़ सा0 देह	932 933 दक्षिणी पश्चिमी	0.28 0.23	श्री जयराज पिता ताराचन्द धाकड़ सा0 देह श्री जयराज पिता ताराचन्द धाकड़ सा0 देह
				किता–2	कुल रकबा 0.51 हैक्टेयर	
2.	933	0.46	श्री जयराज पिता ताराचन्द धाकड़ सा0 देह	933 उत्तरी 934 पश्चिमी	0.23 0.05	श्री कंकु पत्नि देवीलाल धाकड़ सा0 देह श्री कंकु पत्नि देवीलाल धाकड़ सा0 देह
				किता–2	कुल रकबा 0.28 हैक्टेयर	
3.	935	0.05	श्री जयराज पिता ताराचन्द धाकड़ सा0 देह	934 पूर्वी 935	0.06 0.05	बिलानाम कृषि योग्य बिलानाम कृषि योग्य
4.	934	0.11	बिलानाम कृषि योग्य	किता–2	कुल रकबा 0.11हैक्टेयर	

5. प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्यों में ग्राम मण्डावली पटवार हल्का ढोरिया की जमाबन्दी संवत् 2070–2073 की खाता संख्या 84 की आराजी 933 रकबा 0.4600 हैटैयर, आराजी नम्बर 935 रकबा 0.0500 हैक्टेयर कुल किता–2 कुल रकबा 0.5100 हैक्टैयर, एवं जमाबन्दी संवत् 2070–2073 की खाता संख्या 32 की आराजी नम्बर 932 रकबा 0.2800 हैक्टैयर, जमाबन्दी संवत् 2053–2056 की खाता संख्या 243, ग्राम मण्डावली की नामान्तरकरण संख्या 450, 699 मय नामान्तरकरण पर चस्पा नक्शा ट्रेस एवं ग्राम मण्डावली का नक्शा ट्रेस एवं मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रति तथा विक्रय विलेख की फोटोप्रति पेश की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 17:09:50 IST
Reason: SelfAttested

6. दोंनों पक्षों के अभिवचनों के आधार पर बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं तहसीलदार निम्बाहेड़ा से प्राप्त जांच रिपोर्ट एवं संशोधन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया एवं प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारों, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो, तहसीलदार निम्बाहेड़ा की रिपोर्ट एवं बहस में प्रकट तथ्यों के आधार पर संक्षिप्त सार यह है कि साबिक आराजी नम्बर 951/557 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा भूमि श्री रतनलाल पिता नानालाल धाकड़ सा0 देह के नाम दर्ज थी। नामान्तरकरण संख्या 699 स्वीकृत दिनांक 10.08.1999 से प्रार्थी श्री जयराज पिता ताराचन्द धाकड़ के नाम आराजी नम्बर 1006/951/557 रकबा 2 बीघा भूमि एवं श्री

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

रतनलाल पिता नानालाल धाकड़ के नाम आराजी नम्बर 951/557 मी0 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा दर्ज हुआ। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में श्री जयराज पिता ताराचन्द धाकड़ को विक्रय आराजी का पश्चिम भाग से विक्रय की गई थी। साबिक आराजी नम्बर 1006/951/557 रकबा 2 बीघा का नवीन आराजी नम्बर 933 रकबा 0.46 हैक्टेयर व आराजी नम्बर 935 रकबा 0.05 हैक्टेयर किता–2 कुल रकबा 0.51 हैक्टेयर दर्ज हुए एंव आराजी नम्बर 951/557 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा के नवीन आराजी नम्बर 932 रकबा 0.28 हैक्टेयर दर्ज हुये। आराजी नम्बर 932 रकबा 0.28 हैक्टेयर साबिक राजस्व नक्शे अनुसार दर्ज नहीं किया जाकर वर्तमान राजस्व नक्शें में पश्चिम दिशा में दर्ज किया गया है जो कि गलत है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं संशोधन प्रस्ताव से हम सहमत है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने संशोधन प्रस्ताव एवं प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार संशोधन की अनुशंषा की है। अतः तहसीलदार निम्बाहेड़ा से प्राप्त संशोधन प्रस्ताव एवं प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार संशोधन किया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर तहसीलदार निम्बाहेडा को ग्राम मण्डावली पटवार हल्का ढोरिया के राजस्व रेकार्ड में निम्नानुसार संशोधन के आदेश दिये जाते है।

क्र. सं.	वर्तमान प्रविष्टि			संशाधित प्रस्तावित प्रविष्टि		
	आराजी नम्बर	रकबा (हे. में)	नाम खातेदार	आराजी नम्बर	रकबा (है0)	नाम खातेदार
1.	932	0.28	श्री कंकु पत्नि देवीलाल धाकड़ सा0 देह	932	0.28	श्री जयराज पिता ताराचन्द धाकड़ सा0 देह
				933 दक्षिणी पश्चिमी	0.23	श्री जयराज पिता ताराचन्द धाकड़ सा0 देह
				किता–2	कुल रकबा 0.51 हैक्टेयर	
2.	933	0.46	श्री जयराज पिता ताराचन्द धाकड़ सा0 देह	933 उत्तरी	0.23	श्री कंकु पत्नि देवीलाल धाकड़ सा0 देह
				934 पश्चिमी	0.05	श्री कंकु पत्नि देवीलाल धाकड़ सा0 देह
				किता–2	कुल रकबा 0.28 हैक्टेयर	
3.	935	0.05	श्री जयराज पिता ताराचन्द धाकड़ सा0 देह	934 पूर्वी	0.06	बिलानाम कृषि योग्य
				935	0.05	बिलानाम कृषि योग्य
4.	934	0.11	बिलानाम कृषि योग्य	कि[illegible]	कुल रकबा 0.11हैक्टेयर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 17:09:50 IST
Reason: SelfAttested

उपर्युक्तानुसार एवं संलग्न प्रस्तावित नक्शा ट्रेस में अंकित अनुसार राजस्व रेकार्ड में तरमीम की जावें। नक्शा ट्रेस निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखील दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.07.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20/7/23

रमेश सिरवी पुनाड़िया (R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा